"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 442] रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2017 — आश्विन 17, शक 1939

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

क्रमांक 3156/2915/2017/19/तक–4. — छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय पथकर अधिनियम 1851 (1851 का सं. 8) की धारा–2 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक 5500/5006/लो.नि.वि./2002 रायपुर दिनांक 07 अक्टूबर 2002 के अनुसरण में, राज्य सरकार एतद्द्वारा बिलासपुर–कटघोरा–कोरबा–चांपा मार्ग के उन्नयन एवं अनुरक्षण कार्य (151कि.मी) को निजी पूंजी निवेशक के माध्यम से लिये जा रहे पथकर को दिनांक 10–10–2017 रात्रि 12:00 बजे से समाप्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2017

क्रमांक 3156/2915/2017/19/तक–4. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक 3156/2915/2017/19/तक–4, दिनांक 09–10–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 9th October 2017

NOTIFICATION

No. 3156/2915/2017/19-4. — In excercise of the power conferred by Section 2 read with Section 4 of the Indian Tolls Act, 1851 (No. 8 of 1851) in its application to the State of the Chhattisgarh and in pursuance of Department's Notification No. 5500/5006/PWD/2002 Raipur Dated 07 October 2002, The State Government hereby, revokes the levy of toll by private enterpreneur, on Improvement and maintenance of Bilaspur-Katghora-Korba-Champa Road (km. 151) with effect from 12:00 midnight, 10-10-2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
J.M. LULU, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.